यालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

न 36/6 तारीख रजू 22.6.16

इनवान — दीपचन्द बनाम भरतलाल
मीना ग्राम शेरपुर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एड० ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथपत्र व प्रमाणपत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को आगामी तिथि तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम शेरपुर के खसरा नं. 424, 427, 428 में निर्माण नहीं करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली दिनांक 21.7.16 को पेश हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

1742-45
22-6-16

21.7.16

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1, 2 की ओर से वकालतनामा तथा नं. 3 की ओर से श्री रामसरोती शर्मा एड० ने पेश किये। पेश करने वकालतनामा एवं जवाब दिनांक 9.8.16 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

3.4.17 वकुलाय उप./ वकालतनामा व जबाब आगामी सुनवाई तिथी पर आवश्यक रूप से पेश करे/ अन्यथा अतः ही जबाब बंद हो जायेगा/ दि. 1.5.17 को पेश हो।

1.5.17 वकुलाय उप./ अप्रार्थी नं. 3 का वकालतनामा पेश किया जबाब पेश करने पुन: एक मौका चाहा/ प्रार्थी वकील ने एक मौका देने पर सहमति प्रकट की वास्ते जबाब आवश्यक रूप से पेश होवे न्याय आपके द्वार कैम्प नांगल शेरपुर में दि० 2-6.17 को पेश हो।

2-6.17
पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प नांगलशेरपुर मे पेश हुई/ उभय पक्षकारान उपस्थित हुए/ अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश नहीं किया गया है/ पत्रावली का अवलोकन किया/ अप्रार्थीगण को जबाब प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है/ आज भी जबाब पेश नहीं किया है अतः जबाब बन्द किया जाता है/ प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे/ इनके कथन पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया/ प्रथमत: अप्रार्थीगण ने जबाब ही प्रस्तुत नहीं किया है। तथा विवादित आराजीयात ख० नम्बर 421, 427, 428 की खातेदारी

भरतलाल
दीपचन्द/लीला

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टो

फर्द अहकाम

दिनांक	
	जमाबंदी संवत 2071-74 के अनुसार प्रार्थी के नाम है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से कोई संबंध नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी का स्वीकार करते हुए दिनांक 22.6.16 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के फैसला होने तक कन्फर्म किया जाता है। ग्राम नांगल शेरपुर की भूमि ख.नं. $\frac{427}{0.20}$, $\frac{428}{0.01}$, $\frac{421}{0.04}$ पर सायल के कब्जे ~~का~~ काश्त में मजाहमत मदाखलत नही करने, किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने के लिए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 2.6.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय शिविर नांगलशेरपुर में सुनाया गया। (जगदीश आर्य) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner